

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
शोध्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभास: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moeef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moeef.ddn@gov.in

पत्र सं 8वी / यू०सी०पी० / ०९ / १११ / २०२० / एफ०सी० || ३।९

दिनांक: २२/०९/२०२०

संदेश में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - देहरादून में जॉर्ज एवरेस्ट, मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिये 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास' हेतु ०.८८८६ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पर्यटन विकास विभाग को वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के अंतर्गत प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 617 / FP/UK/Others/48097/2020 दिनांक 29.08.2020

महान्
उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP UK Others 48097/2020 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के तहत रवीकृति मार्गी थी।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार -- जनपद - देहरादून में जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नोटिफाईड प्राईवेट फॉरेस्ट मसूरी में पर्यटन विभाग की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा व पर्यटन विकास के लिये 'जॉर्ज एवरेस्ट विरासत पार्क का विकास' हेतु ०.८८८६ हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु पर्यटन विकास विभाग को वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के अंतर्गत प्रत्यावर्तन किये जाने की सौद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण लगाने के बाद ही इस भूमि परीक्षण जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
 - (a) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1777 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखारखाव हेतु आवश्यक धनराशि (i.e. CA rate for 1.7772 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित)) जमा की जाएगी। जहां तक व्यापारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लागाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचें। राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
 - (b) राज्य शासन द्वारा रोपण स्थल की KML file, coordinates, नक्शा, इत्यादि जानकारी इस कार्यालय को प्रदाय की जाएगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वक्षण, सीनाकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा उग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
 - (a) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202-1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.री. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत ०.८८८६ हेठो वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य बसूल करेगी।
 - (b) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अतिम कम रेने के बाद देय हो, वो राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से बचता जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक शाखापत्र प्रस्तुत करेंगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तिन वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के यूक्त नहीं काटे जायेंगे।
7. State Govt. may submit the administrative approval accorded by the authority.
8. State Govt. may submit/upload the Site Inspection Report with DFO's comments against each para.
9. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक यन्मिकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कड़ में स्थानात्मिक/ जमा किए जाएंगे।
11. एप्रिल, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति पाप्त करेगा।
13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि पर कोई भी अभिकरण शामिल नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी झोत से पर्याप्त लाभड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हरतात्मित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार इस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार नलावे का निरस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पोथे लागाकर मलावा निरस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलावे को यथा रथान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निरस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग की सांप्रदान से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।


भवदीय,



(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (क०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरदारगंगा रोड अलीगढ़, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।



(टी० सी० नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (क०)